दिनांक– 09.01.2026 को अपराह्न 03:00 बजे से विडियो कॉन्फ्रेसिंग (BSWAN) के माध्यम से निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– संलग्न सूची के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गईः–

(1) पैथोलॉजिकल लैब द्वारा जाँच कार्य की समीक्षाः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि लखीसराय, नवादा, जमुई, मधेपुरा, नालन्दा, शिवहर, भागलपुर एवं दरभंगा जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों द्वारा माह दिसम्बर–2025 में बहुत ही कम संख्या में पैथोलॉजिकल लैब द्वारा जाँच कराया गया है, जिसके लिए खेद व्यक्त किया गया। साथ ही कम प्रगति वाले जिलों को कार्य में प्रगति लाने एवं पैथोलॉजिकल लैब में जाँच में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया।

(2) एम्बुलेट्री भान द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा :–

एम्बुलेट्री भान द्वारा आयोजित शिविरों की संख्या के आधार पर जमुई, रोहतास, नालन्दा, किशनगंज, जहानबाद, लखीसराय एवं मोतिहारी जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों के द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कम शिविर का आयोजन किया गया है।

इस संबंध में लक्ष्य के अनुरूप शिविर आयोजन करने हेतु संबंधित सभी जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया। साथ ही जिलों को प्रतिमाह शिविर आयोजित करने एवं लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कार्य में प्रगति लाने हेतु सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को भी आवश्यक अनुश्रवण हेतु निदेशित किया गया।

साथ ही इस माह में एम्बुलेट्री भान से खगड़िया जिला द्वारा एक भी पशुओं की चिकित्सा नही किये जाने के कारण उक्त जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी को एम्बुलेट्री भान से पशुओं की चिकित्सा कार्य में गति लाने का निदेश दिया गया।

(3) कृत्रिम गर्भाधान कार्य की समीक्षाः–

ABIP-SS अंतर्गत किए गए कृत्रिम गर्भाधान का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 3 (तीन) तारीख तक बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने तथा Sexed Semen से किए गए कृत्रिम गर्भाधान के कार्यों को भारत पशुधन पोर्टल पर Update कराना सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। साथ ही Sexed Semen का राशि रू0 250 से घटाकर रू0 150 की गई है तथा रू0 100 अनुदान की राशि बिहार सरकार द्वारा दी जा रही है।

ABIP-SS योजनांतर्गत किए गए कृत्रिम गर्भाधान कार्यों को तथा LH& DCP से संबंधित डाटा का भारत पशुधन पोर्टल पर 28.02.2026 तक Upload कराना सुनिश्चित कराने हेतु सभी पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

साथ ही LH& DCP से संबंधित सभी Vaccine का शेष बचे हुए डाटा भारत पशुधन पोर्टल पर 28.02.2026 तक Upload कराना सुनिश्चित कराने हेतु निदेशक, पशुपालन, द्वारा सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(4) RIDF हेतु भूमि की उपलब्धता

पशु चिकित्सालयों/RIDF हेतु भूमि की उपलब्धता उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था। परन्तु पशु चिकित्सालय निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल पर कतिपय समस्या के कारण निम्नांकित जिलों के द्वारा भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

क्र0सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड	पशु चिकित्सालय का नाम/सील	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	शेखपुरा	घाट कुसुम्भा	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, कोयला	
2	जहानाबाद	मोदनगंज	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, औकरी	
3	जमुई	सिकन्दरा	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, महादेव सिमरिया	
4	मुंगेर	असरगंज	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, दामोदरपुर	
5	औरंगाबाद	गौह	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, देवकुण्ड	
6	औरंगाबाद	ओबरा	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, डिहरा	
7	भोजपुर (आरा)	चरपोखरी	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, कोयल	

उपर्युक्त संबंधित सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उक्त प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के निर्माण हेतु अपने जिलान्तर्गत जिला पदाधिकारी से आवश्यक समन्वय स्थापित कर भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(5) चारा विकास योजना –

जिला पशुपालन पदाधिकारी नालंदा को पूर्व के वित्तीय वर्ष में "चारा विकास की योजना" के तहत चारा उत्पादन एवं प्रत्यक्षण की स्वीकृत योजना अर्न्तगत लिकं चेन फेसिंग वायर से घेराबन्दी, ग्रील गेट का निर्माण एवं पम्प सहित समरसेबुल बोरिंग हेतु हरनौत, इस्लामपुर, सरमेरा प्रखंडों में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राकलन तैयार करवाने हेतु निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में जिला पशुपालन पदाधिकारी नालंदा ने बताया कि केवल सरमेरा प्रखंड में जमीन उपलब्ध है, जिस पर कार्य आरंभ किया जा सकता है शेष इस्लामपुर हरनौत में जमीन अस्पष्ट है। अस्थामा प्रखंड अर्न्तगत चारा नर्सरी हेतु लिकं चेन फेसिंग वायर से घेराबन्दी, ग्रील गेट का निर्माण एवं पम्प सहित समरसेबुल बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा ओबरा प्रखंड में कार्य आरंभ करने के विषय में बताया गया कि ओबरा के अंचलाधिकारी इस कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के निर्देश के पश्चात भी अंचलाधिकारी, ओबरा खाता खेसरा की जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं जिसके फलस्वरूप नजरी नक्शा नहीं बन पा रहा है परिणामस्वरूप प्राक्कलन नहीं तैयार हो पा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में "चारा विकास की योजना" के तहत चारा उत्पादन एवं प्रत्यक्षण की योजना में स्वीकृत 04(चार) जिला अंतर्गत चयनित (05) पांच प्रखंडों में जो निम्न है।:–

क्र0स0	जिला का नाम	चयनित प्रखड का नाम	अभ्युक्ति
1	खगड़िया	चौथम	
2	औरंगाबाद	बारूण	
3	नालन्दा	नूरसराय (चण्डासी)	
4	किशनगंज	1. दिग्घल बैंक, 2. कोचाधामन	

योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को लिकं चेन फेसिंग वायर से घेराबन्दी, ग्रील गेट का निर्माण एवं पम्प सहित समरसेबुल बोरिंग हेतु प्राकलन तैयार करवाने हेतु निर्देश दिया गया है।

(6) <u>गोशाला –</u>

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को अपने जिला अन्तर्गत सभी निबंधित गोशाला का प्रत्येक माह निरीक्षण करने तथा निरीक्षण के उपरान्त गोशाला में जो कमी पाया जाय उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सक द्वारा भी गोशाला का महीने में दो बार भ्रमण किये जाने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने के निमित सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

साथ ही अपने जिला अन्तर्गत सभी निबंधित गोशाला से ही विभागीय योजनाओं यथा टीकाकरण का शुभारंभ, बांझपन शिविर, पशपालकों हेतु आयोजित होने वाले जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत करने का निदेश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक गौशालाओं को दिये गए सहायक अनुदान राशि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार पटना द्वारा संबंधित गोशाला अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी एवं गोशाला सचिव को वित्तीय वर्षावर पत्राचार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के सहायक अनुदान राशि का लंबित उपयोगिता हेतु संबंधित गोशाला अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी एवं गोशाला सचिव को पत्रांक–01 दिनांक 06.01.2026 द्वारा पत्राचार किया गया है।

तदालोक में जिला पशुपालन पदाधिकारी दरभंगा को श्री दरभंगा गोशाला सोसाइटी, दरभंगा/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर को श्री गोपाल गोशाला नवगछिया, भागलपुर/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को श्री मुजफ्फरपुर गोशाला, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद को श्री कृष्ण गोशाला, जहानाबाद के गोशाला सचिव/ उपाध्यक्ष से समन्वय स्थापना कर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना को भेजे जाने हेतु निदेशित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के सहायक अनुदान राशि का लंबित उपयोगिता हेतु संबंधित गोशाला अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी एवं गोशाला सचिव को पत्रांक– 212 दिनांक 02.01.2026 द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना को श्री गोपाल गोशाला बाढ़/ जिला पशुपालन पदाधिकारी सासाराम को श्री कृष्ण गोशाला सासाराम/ जिला पशुपालन पदाधिकारी मुंगेर को गोपालनी सभा हवेली खड़गपुर, मुंगेर/ जिला पशुपालन पदाधिकारी सीतामढ़ी को श्री सीतामढ़ी गोशाला एवं श्री सुरसंड गोशाला, सुरसंड सीतामढ़ी के गोशाला सचिव/ उपाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना को भेजे जाने हेतु निदेशित किया गया।

वित्तीय वर्षः– 2020–21 के सहायक अनुदान राशि का लंबित उपयोगिता हेतु संबंधित गोशाला अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी एवं गोशाला सचिव को पत्रांक– 213 दिनांक 05.01.2026 द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया को श्री सेंट्रल गोरक्षणी रानीगंज, शेरघाटी गया/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर को श्री गोरक्षणी समिति, पूरबसराय मुंगेर/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा को श्री गोरक्षणी शेखपुरा/ जिला पशुपालन पदाधिकारी को श्री गोरक्षणी सभा बैरगनिया, सीतामढ़ी के गोशाला सचिव/ उपाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना को भेजे जाने हेतु निदेशित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के सहायक अनुदान राशि का लंबित उपयोगिता हेतु संबंधित गोशाला अध्यक्ष से अनुमंडल पदाधिकारी एवं गोशाला सचिव को पत्रांक– 215 दिनांक 06.01.2026 द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में जिला पशुपालन पदाधिकारी, सिवान को श्री गौरी शंकर गोशाला महाराजगंज सिवान/जिला पशुपालन पदाधिकारी बेत्तिया को श्री कृष्ण गोशाला चनपटिया, बेतिया/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा को श्री मधेपुरा गोशाला मधेपुरा एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा को श्री शंकर गोशाला पुरैनी, गणेशपुर मधेपुरा के गोशाला सचिव/ उपाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना को भेजे जाने हेतु निदेशित किया गया।

साथ ही वित्तीय वर्ष :– 2023–24 के सहायक अनुदान राशि का लंबित उपयोगिता हेतु संबंधित गोशाला अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी एवं गोशाला सचिव को पत्रांक– 213 दिनांक 05.01.2026 द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगुसराय को श्री कृष्ण गोशाला बखरी बाजार बेगुसराय/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया को श्री गोशाला कमिटी खगड़िया/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेत्तिया को श्री पिंजरापोल गोशाला बेत्तिया, पश्चिमी चम्पारण एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी श्री चिंतरंजन गोशाला, पुपरी सीतामढ़ी को गोशाला सचिव/उपाध्यक्ष से समन्वय स्थापित अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना को भेजे जाने के लिए निदेशित किया गया।

(7) विभागीय भूमि –

सभी प्रकार की विभागीय भूमि का Mutation हेतु भूमि की विवरणी उपलब्ध कराने के निमित सभी क्षेत्रीय निदेशक (पशुपालन) एवं सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया था, जिसका प्रतिवेदन अबतक सभी जिला (कुछ जिला को छोड़कर) से अद्यतन अप्राप्त है।

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को विभागीय भूमि से संबंधित विवरणी शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

पशुपालन विभाग की स्वामित्व वाली भूमि जो अतिक्रमण का शिकार है, उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

सभी क्षेत्रीय निदेशक (पशुपालन) को महीने में एक बार अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी जिला का भ्रमण करने तथा अतिक्रमित विभागीय भूमि पर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(8) समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजना –

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 20 बकरी + 01 बकरा, 40 बकरी + 02, 100 बकरी + 05 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता में चयनित लाभुकों को अविलंब बकरी फार्म स्थापित कराने हेतु निदेशित किया जाय।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदानित दर पर बकरी वितरण की योजना में बकरी वितरण के उपरान्त आपूर्तिकर्त्ता फर्म को भुगतान की गयी/ जाने वाली राशि तथा भविष्य में भुगतेय हो जाने वाली राशि की समीक्षा कर पूर्ण संतुष्टोपरान्त त्रुटिरहित प्रतिवेदन निम्नांकित विहित प्रपत्र में पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलों को पत्र प्रेषित किया गया था:–

क्र0 सं0	जिला का नाम	बी0एल0डी0ए0, पटना से प्राप्त राशि	भुगतेय की गयी राशि	व्यय की गयी राशि	सम्भावित व्यय की जाने वाली राशि	वापस की जाने वाली राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद कैमूर, गया, जहानाबाद, बांका, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं बेगूसराय जिलों द्वारा अबतक तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया गया है, जिस कारण आपूर्तिकर्त्ता फर्मों द्वारा EMD लौटाने हेतु किये गये अनुरोध पर अग्रेतर कार्रवाई नही की जा सकी है।

उपर्युक्त संबंधित जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी का अविलंब प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

पूर्व के वित्तीय वर्षों (2018–19, 2019–20, 2020–21, 2023–24 एवं 2024–25) की योजना चयनित लाभुक, जो योजना हेतु इच्छुक नही है या जो स्वीकृति रद्द करने हेतु आवेदन समर्पित किये हो एवं जो अबतक बकरी फार्म का निर्माण नही किये हो, उक्त सभी लाभुकों की स्वीकृति रद्द कर प्रतिवेदन पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

(9) <u>समेकित सूकर विकास योजना –</u>

वित्तीय वर्ष– 2024–25 में सूकर विकास की योजना में चयनित आपूर्त्तिकर्त्ता फर्मों द्वारा शिवहर, कैमूर, गया, समस्तीपुर एवं सिवान, जिलों द्वारा चयनित लाभुकों के बीच सूकर वितरण करने हेतु अबतक आपूर्ति आदेश निर्गत नही किये जाने की सूचना दी गयी है।

विदित हो कि इस संबंध में पूर्व में भी सभी जिलों को चयनित आपूर्त्तिकर्त्ता फर्मों को सूकर की आपूर्त्ति हेतु आपूर्त्ति आदेश अविलंब निर्गत कर दिनांक– 25.12.2025 तक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। फिर भी उक्त जिलों द्वारा इसका अनुपालन नही किया जा रहा है।

अतएव उक्त सभी जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति आदेश निर्गत कर चयनित लाभुकों के बीच सूकर वितरण करने हेतु निदेशित किया गया।

साथ ही वित्तीय वर्ष 2025–26 में सूकर विकास की योजना में चयनित लाभुकों (कोटिवार) से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

<u>अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।</u>

ह०/–

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक –12 नि०/प०ग० (बैठक) 01/2026 386 (नि०) पटना–15, दिनांक 29/01/2026

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)/ संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन, निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/चारा विकास पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, (सूचना एवं प्रसार), बिहार, पटना/गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पशुपालन निदेशालय के सभी प्रभारी पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई०मेल करने एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/01/26

संयुक्त निदेशक (प0 स्वा0)।